कार्यालय, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पत्रांकः–938/मु0वि0प्रा0/नि00अ0/2023–24 दिनांक 20/2/2024

प्रभारी विज्ञापन,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

कृपया नया मुरादाबाद योजना के अन्तर्गत सेक्टर–4 में पूर्व नियोजित/विकसित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड सं0–3, 4, 6 व 7 तथा सेक्टर–11 में नियोजित भूखण्ड सं0–1 पर 'ग्रुप हाउसिंग' क्रिया के साथ–साथ 'भूखण्डीय विकास' क्रिया अथवा पूर्ण रूप से 'भूखण्डीय विकास' क्रिया अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 135वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.01.2024 में मा0 बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। मा0 बोर्ड के निर्णयानुपालन में योजना के तलपट मानचित्र में उक्त सीमा तक आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13(3) के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की 'सार्वजनिक सूचना' के प्रारूप को स्थानीय स्तर पर पढ़े जाने वाले किन्ही दो लोक महत्व के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा प्रदान की गयी है।

अतः पत्र के साथ संलग्न 'सार्वजनिक सूचना' के प्रारूप को स्थानीय स्तर पर पढ़े जाने वाले किन्ही दो लोक महत्व के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने के साथ–साथ उक्त 'सार्वजनिक सूचना' को नियत समयावधि में प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

19/2/2024

मुख्य नगर नियोजक,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

पृष्ठांकन– /मु0वि0प्रा0/नि0अ0/2023–24 दिनांक :– / /2024

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव, महोदया को सूचनार्थ।
3. प्रभारी कम्प्यूटर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त 'सार्वजनिक सूचना' को नियत समयावधि में प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

मुख्य नगर नियोजक

D:MDA22\All Latter

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

सार्वजनिक सूचना

"एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित जाता है कि प्राधिकरण द्वारा नया मुरादाबाद योजना के अन्तर्गत सेक्टर–4 में पूर्व नियोजित/विकसित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड सं0–3, 4, 6 व 7 तथा सेक्टर–11 में नियोजित भूखण्ड सं0–1 पर 'ग्रुप हाउसिंग' क्रिया के साथ–साथ 'भूखण्डीय विकास' क्रिया अथवा पूर्ण रूप से 'भूखण्डीय विकास' क्रिया अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 135वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.01.2024 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे मा0 बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। योजना के तलपट मानचित्र में उक्त सीमा तक आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13(3) के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त 'सार्वजनिक सूचना' के प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों की समयावधि के अन्तर्गत उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को सम्बोधित अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में नया मुरादाबाद, दिल्ली रोड स्थित प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।"

सचिव, 15.02.2024

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद